केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित

(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)

56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

दूरभाष सं.-011-28524993, 28524995, 28520979, 28520966

वेबसाईट-www.sanskrit.nic.in

अधिसूचना संख्या- के.सं.वि./36014/विज्ञापन/योजना-/2024-25/01 **दिनांक- 05-05-2024**

"आदर्श योजना 2022" के तहत वित्तीय सहायता एवं संस्कृत संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित संस्कृत के संवर्धन की केन्द्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। तदनुसार, संस्कृत के संवर्धन हेतु निम्नलिखित केन्द्रीय योजनाओं के तहत इच्छुक एन.जी.ओ./स्वैच्छिक संगठन/संस्थाएं/विश्वविद्यालय/प्रकाशक/ वैयक्तिक/ छात्रों से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं:-

क्रम संख्या	योजना का नाम	ऑनलाईन पंजीकरण	
		आरम्भ तिथि	अन्तिम तिथि
1.	**"आदर्श संस्कृत महाविद्यालय (ASMs)/आदर्श संस्कृत शोध संस्थान (ASSSs) -2022" योजना के अंतर्गत संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए अधिसूचना CSU/Ad/Revised Scheme/2023-24/01 दिनांक 05.03.2024** के अनुसार सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1983 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों या ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी कंपनी जिसे इसके बाद "मूल निकाय" कहा जाएगा एवं संस्कृत महाविद्यालय या संस्कृत शोध संस्थान का रखरखाव करने वाली संस्थाओं को मान्यता देने के लिए "आदर्श संस्कृत महाविद्यालय (ASMs)/आदर्श संस्कृत शोध संस्थान ((ASSSs) -2022 के खंड 6 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा रहे।	**10.05.2024**	**30.06.2024**
2.	**संस्कृत शिक्षण -** पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं/महाविद्यालयों/सरकारी विद्यालयों/गुरु शिष्य परम्परा संस्थाओं में शिक्षण हेतु संस्कृत एवं आधुनिक विषय के शिक्षकों की व्यवस्था तथा आवासीय छात्रवृत्ति।		
3.	**सम्मान राशि -** अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहने वाले प्रख्यात संस्कृत पण्डितों के लिए वार्षिक वृत्ति।		
4.	**संस्कृत संवर्धन कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ -** विभिन्न संस्कृत संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।		
5.	**संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन, थोक खरीद और दुर्लभ संस्कृत ग्रन्थों के पुनर्मुद्रण।**		
6.	**शास्त्र चूड़ामणि -** संस्कृत शास्त्र के शिक्षण हेतु शास्त्र विद्वानों की अथवा सेवानिवृत्त संस्कृत विद्वानों की सेवाओं की उपयोगिता।		
7.	**व्यावसायिक प्रशिक्षण -** पंजीकृत पारम्परिक संस्कृत संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण।		
8.	**छात्रवृत्ति -** पारंपरिक एवं आधुनिक धारा में नियमित रूप से 9वीं कक्षा से पीएच.डी. तक संस्कृत/ पालि/प्राकृत भाषा को अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति।	**10.05.2024**	**15.09.2024**

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन जमा करते समय इच्छुक आवेदक कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान में रखें:-

i) उपर्युक्त सभी योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन माध्यम से ही (online mode only) स्वीकार्य है। अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र अस्वीकार्य है।

ii) उपर्युक्त योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, इच्छुक आवेदक के द्वारा प्रकाशनसामग्री/पुस्तक/आवश्यक दस्तावेजों आदि की प्रति तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति विधिवत प्रमाणित कर जमा करना आवश्यक है। आवेदन पत्र और अनुलग्नकों के सभी पृष्ठों पर आवेदक द्वारा स्याही से हस्ताक्षर और स्व-सत्यापित होना चाहिए।

iii) पूर्ण रूप से भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पंजीकरण की अंतिम तिथि से 20 दिनों के अंदर **योजना का नाम लिफाफे के शीर्ष पर** लिखकर पंजीकृत डाक द्वारा **"कुलसचिव, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, 56.57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058** को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है।

iv) आवेदन पत्र भरने से पूर्व यह सलाह दी जाती है कि प्रत्येक योजना के दिशानिर्देशों को अवश्य पढ़ें।

v) प्रत्येक योजना के दिशानिर्देश, आवश्यक दस्तावेज, मानदेय राशि, ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया एवं आवेदन पत्र को अग्रसारित करने की प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी हेतु कृपया केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.sanskrit.nic.in/schemes पर अवलोकन करें।

vi) उपरोक्त क्रम संख्या 2 से 8 तक प्रत्येक योजना के लिए विगत वर्षों में अनुदानग्राही संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष पृथक रूप से ऑनलाईन आवेदन जमा करना अनिवार्य है, स्वतः नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

vii) अनुदान/मान्यता हेतु प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति प्रत्येक वर्ष धन की उपलब्धता एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर करती है। अतः प्रत्येक योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु प्रतिवर्ष अलग से आवेदन करना अनिवार्य हैं।

viii) योजना से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण या संदेह के मामले में आवेदक उपरिलिखित दूरभाष या पत्र व्यवहार संकेत अथवा ई-मेल help.schemes@csu.co.in के माध्यम से संपर्क कर सकते है।

हस्ता./-

कुलसचिव प्र.